न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

दावा संख्या :– 05/2022

देबीलाल पिता स्व. हीरालाल जी जाति धाकड निवासी श्रीनगर तह0 बेगूँ

वादी

बनाम

1 घीसालाल पिता स्व. हीरालाल जी जाति धाकड निवासी श्रीनगर तह0 बेगूँ
2 रामेश्वरलाल पिता स्व. हीरालाल जी जाति धाकड निवासी श्रीनगर तह0 बेगूँ
3 रतिराम पिता स्व. हीरालाल जी जाति धाकड निवासी श्रीनगर तह0 बेगूँ
4 मांगीबाई पिता स्व. हीरालाल जी जाति धाकड निवासी श्रीनगर तह0 बेगूँ हा.मु. पति कन्हैयालाल धाकड निवासी घनश्यामपुरा तह0 बेगूँ
5 सोहनीबाई पिता स्व. हीरालाल जी जाति धाकड निवासी श्रीनगर तह0 बेगूँ हा.मु. पति लाभचंद जी धाकड निवासी चैनसिंह जी का राजपुरा तह0 बेगूँ
6 नंदा पिता प्यारचन्द्र धाकड निवासी श्रीनगर तह0 बेगूँ
7 सपंति पिता प्यारचंद धाकड निवासी श्रीनगर हा.मु. कैलाशचन्द्र नि0 मडावदा तह0 बेगॅ
8 कमलाबाई पिता प्यारचंद धाकड निवासी श्रीनगर तह0 बेगूँ
9 सोहनलाल पिता लखमा जी धाकड निवासी श्रीनगर तह0 बेगूँ
10 प्रभूलाल पिता स्व. लखमा धाकड निवासी श्रीनगर तह0बेगूँ
11 प्रेमबाई पिता स्व. लखमा धाकड निवासी श्रीनगर हा.मु.पति लालुराम जी निवासी सोदर्शनपुरा
12 सुशीलाल पिता लखमा धाकड निवासी श्रीनगर हा.मु.पति शंकरलाल धाकड नि.बंदा का राजपुरा
13 जेतीबाई पति लखमा जी धाकड निवासी श्रीनगर तह0 बेगूँ
14 घीसा पिता नंदा जी धाकड निवासी श्रीनगर तह0 बेगूँ
15 कजोडीबाई पिता भीमा धाकड पति हीरालाल धाकड निवासी उमर का खाल तह0 बेगूँ
16 शुभम पिता शांतिलाल धाकड निवासी बलवंतनगर तह0 बेगूँ
17 श्रीमान शाखा प्रबंधक चि.सह. भूमि विकास बैंक शाखा बेगूँ
18 श्रीमान शाखा प्रबंधक ब.रा.ग्रा. बैंक शाखा ठुकराई
19 श्रीमान शाखा प्रबंधक आईसीआईसीआई बेगूँ
20 श्रीमान शाखा प्रबंधक बीओबी शाखा ठुकराई
21 श्रीमान शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडोदा शाखा सामरियाकलां तह0 बेगूँ
22 श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चितौडगढ
23 श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय प्रतिनिधि राजस्थान सरकार चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित::– श्री मोहम्मद रफीक खान
अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :–05.09.2024

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी का वादपत्र इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतवादीसं. 1 से 17 तक की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात राजस्व रेकार्ड में निम्नानुसार दर्ज स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

) मौजा श्रीनगर प.ह. ठुकराई के खाता सं. 58 में

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
1434	0.1940
1435	0.1700
1436	0.1460
कीता–3 कुल रकबा	0.5100 हैक्टर

(ब) मौजा श्रीनगर प.ह. ठुकराई के खाता सं. 57 में

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
156	0.3640
157	0.5510
158	0.4210
357	0.3480
786	0.1940
787	0.1780
790	0.1940
11.95	0.0570
1447	0.1050
1458	0.1130
कीता–10 कुल रकबा	2.5250 हैक्टर

(स) मौजा ठुकराइ प.ह. ठुकराई के खाता सं. 140 में

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
493	0.8250

(द) मौजा भंवरियाखुर्द प.ह. सुवाणिया के खाता सं. 43 मे

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
175	0.6870
181	0.5510
406	0.6550
410/406	0.3800
कीता–4 कुल रकबा	2.2730 हैक्टर

यह कि वादी एवं प्रतवादीगण के पारिवारिक सजरा वाद के साथ संलग्न पृष्ठ पर अंकित है जो वादपत्र का हिस्सा है।

यह कि वादपत्र की कलम सं. 1 की उपकलम (अ) मौजा श्रीनगर के खाता सं. 58 में वर्णित संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात में वादी का 1/18 हिस्सा, तथा उपकलम (ब) मौजा श्रीनगर के खाता सं. 57 में वादी का 1/18 हिस्सा, तथा उपकलम (स) मौजा ठुकराई के खाता सं. 140 में वादी का 1/18 हिस्सा तथा उपकलम (द) मौजा भंवरियाखुर्द के खाता सं. 43 में वादी का 1/24 हिस्सा निहित होकर वादी व व प्रतिवादीगण जमाबंदी में अंकित अपने अपने निहित हक हिस्सानुसार मौके पर आपसी तौर पर मौखिक वंटवाडा कर निरंतर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है। और लगान भी अदा करते आ रहे है लेकिन मौके पर एवं राजस्व रेकार्ड में विधिवत विभाजन नहीं होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आए दिन फसल बोने व घास चारा काटते समय आए दिन विवाद होता रहता है। इसके समाधान के लिए वादी द्वारा दिनांक 20.09.2021 को

तिवादीगण को तहसील में चलकर आपसी सहमति से विभाजन कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने इंकार कर दिया जिससे वाद कारण उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

वर्णित आराजीयात न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार में स्थिति होन`से वादपत्र न्यायालय श्रीमान मे पेश है। यह कि वाद वर्णित कृषि आराजयीत बैंक शाखा के रहन होन`से बैंक शाखा को पक्षकार बनाया गया है तथा श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार साहब विभाजन के वाद में आवश्यक पक्षकार होन`से तथा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय राज्य के प्रतिनिधि होने से फोर्मल तौर पर पक्षकार बनाए गये है।

अतः न्यायालय श्रीमान से निवेदन है कि वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न अनुतोष की डिकी प्रदान कराई जावे:-

(क) कि वादपत्र की कलम सं. 1 की उपकलम (अ) मौजा श्रीनगर के खाता संख्या 58 में वर्णित संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजयीत में वादी का 1/18 हिस्सा , तथा उपकलम (ब) मौजा श्रीनगर के खाता सं. 57 में वादी का 1/18 हिस्सा, तथा उपकलम (स) मौजा ठुकराई के खाता सं. 140 मे वादी का 1/18 हिस्सा तथा उपकलम (द) मौजा भंवरियाखुर्द के खाता सं. 43 में वादी का 1/24 हिस्सा निहित होकर वादी व प्रतिवादीगण जमाबंदी में अंकित अपने अपने निहित हक हिस्सा अनुसार भूमि का मौके पर कब्जे अनुसार वादी एवं प्रतिवादी के मध्य भूमि का मिट्स एण्ड बाउन्डस के आधार पर अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि का विभाजन किए जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराई जावें।

(ख) कि बाद विभाजन वादी का खाता अलग रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने की आज्ञप्ति वादी के पक्ष में प्रदान कराई जावें।

(ग) कि अन्य कोई अनुतोष सुलभ वादी हो विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराया जावें।

(घ) कि वाद व्यय एवं अधिवक्ता शुल्क वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

दावा पत्रावली न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण न्यायालय में बावजूद सूचना हाजिर नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये। तथा दावा पत्रावली में वादी की आरे से साक्ष्य वादी हेतु साक्ष्यशपथ पत्र वादी देवीलाल पिता स्व.हीरालाल जी ,गवाह शोभालाल धाकड पिता रतिराम धाकड के प्रस्तुत कर वादी देवीलाल से साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श कराया गया तथा उनके बयान कलमबद्ध कराये गये, जिरह अधिवक्ता प्रतिवादीगण का न होने से निल रही तथा पुनः परीक्षण भी निल रहा है। इसी प्रकार गवाह शोभालाल के बयान भी कलमबद्ध करा साक्ष्य वादी की पूर्ण की गई। पत्रावली में वादी की साक्ष्य पूर्ण होने पर प्रकरण में अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया , अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस वादपत्र के अनुसार ही करते हुए प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी अनुसार वादी का हिस्सा व प्रतिवादीगण के हिस्सा अनुसार कृषि आराजीयात का मिट्स एण्ड बाउन्डस के आधार पर अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर कब्जे अनुसार विभाजन कराये जाने का निवेदन करते हुए बाद विभाजन वादी की आराजी राजस्व रिकोर्ड में पृथक से दर्ज कराये जाने का निवेदन किया गया है।

बहस अधिवक्ता वादी की एक तरफा सुने जाने के पश्चात हमारे द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत सभी प्रदर्श दस्तावेज नकल जमाबंदी मौजा ठुकराई के खाता संख्या 140 में अंकित आराजी संख्या 493 रकबा 0.8250 हैक्टर भूमि मे खातेदार घीसालाल देबीलाल रामेश्वरलाल रतिराम मागीबाई सोहनीबाई पिता हीरालाल हिस्सा 1/3 दर्ज होकर अन्य प्रतिवादीगण खातेदार का नाम हिस्सा दर्ज अंकित है, इस प्रकार इस आराजी में वादी देबीलाल का हिस्सा 1/18 है, प्रदर्श-2 नकल जमाबंदी मौजा भंवरियाखुर्द प.ह. सुवाणिया के खाता संख्या 43 मे दर्ज आराजी संख्या 175, 181, 406, 410/406 कीता-4 रकबा 2.2730 हैक्टर भूमि में खातेदार घीसालाल देबीलाल रामेश्वर रतिराम मांगीबाई सोहनीबाई पिता हीरा हिस्सा 1/4 अंकित होकर अन्य प्रतिवादीगण खातेदार का नाम हिस्सा दर्ज अंकित है, इस प्रकार इस आराजी में वादी देबीलाल का हिस्सा 1/24 होता है, इसी प्रकार प्रदर्श-3 नकल जमाबंदी मौजा श्रीनगर प.ह. ठुकराई के खाता संख्या 57 में अंकित आराजी संख्या 156, 57, 158, 357, 786, 786, 787, 790, 1195, 1447, 1458 कीता-10 कुल रकबा 2.5250 हैक्टर भूमि में खातेदार घीसालाल देबीलाल रामेश्वरलाल रतिराम मांगीबाई सोहनीबाई पिता हीरा का

स्सा 1/3 होकर अन्य प्रतिवादीगण खातेदार का नाम हिस्सा दर्ज अंकित है, इस प्रकार इस आराजी में वादी देवीलाल का हिस्सा 1/18 होता है। प्रदर्श–4 नकल जमाबंदी मौजा श्रीनगर प.ह. ठुकराई के खाता संख्या 58 में दर्ज आराजी संख्या1434, 1435, 1436 कीता– 3 कुल रकबा 0.5100 हैक्टर भूमि में खातेदार घीसालाल पिता नन्दा 1/3 घीसालाल देवीलाल रामेश्वरलाल रतिराम मांगीबाई सोहनीबाई पिता हीरा हिस्सा 1/3 अंकित है अन्य प्रतिवादीगण खातेदार का नाम हिस्सा दर्ज अंकित है, इस प्रकार इस आराजी में वादी देवीलाल का हिस्सा का 1/18 बनता है। इस प्रकार प्रस्तुत कृषि आराजी के नक्शाट्रेस प्रदर्श–5, प्रदर्श–6, प्रदर्श–7, प्रदर्श–8, प्रदर्श–9 का अवलोकन भी हमारे द्वारा किया गयां।

इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेज में जो हिस्सा वादी का बनता है उसी अनुसार वादी ने अपने वाद पत्र में दर्शाया है, जिससे वादी देवीलाल का हिस्सा घोषित करते हुए वर्णित कृषि आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मिट्स एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन करा पाने के वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 व 88 अनुसार पाये जाते है। वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 88–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है।
मौजा ठुकराई के खाता संख्या 140 में अंकित आराजी संख्या 493 रकबा 0.8250 हैक्टर भूमि मे खातेदार वादी देवीलाल का हिस्सा 1/18 व अन्य हिस्सा प्रतिवादीगण का दर्ज जमाबंदी अनुसार, इसी प्रकार मौजा भंवरियाखुर्द प.ह. सुवाणिया के खाता संख्या 43 मे दर्ज आराजी संख्या 175, 181, 406, 410/406 कीता–4 रकबा 2.2730 हैक्टर भूमि में खातेदार वादी देवीलाल का हिस्सा 1/24, तथा मौजा श्रीनगर प.ह. ठुकराई के खाता संख्या 57 में अंकित आराजी संख्या 156, 57, 158, 357, 786, 786, 787, 790, 1195, 1447, 1458 कीता–10 कुल रकबा 2.5250 हैक्टर भूमि में खातेदार वादी देबीलाल का हिस्सा 1/18, एवं मौजा श्रीनगर प.ह. ठुकराई के खाता संख्या 58 में दर्ज आराजी संख्या1434, 1435, 1436 कीता– 3 कुल रकबा 0.5100 हैक्टर भूमि में खातेदार वादी देबीलाल का हिस्सा 1/18 घोषित किया जाता है तथा शेष प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज जमाबंदीयो के अनुसार रखते हुए उक्त कृषि आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मिट्स एण्ड बाउन्डस के आधार पर अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर कब्जे अनुसार विभाजन कराये जाने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 2000/– अक्षरे दो हजार रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है तथा तहसीलदार बेगूँ को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त कृषि आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य करते हुए विभाजन प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस के साथ दो प्रति में इस न्यायालय में भिजवावें। प्राथमिक डिक्री तैयार की जाकर प्राथमिक डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जावें।

उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूँ के पत्र क्रमांक/राजस्व(कोर्ट)/2025/13 दिनांक 08.01.2025 से फर्द बंटवारा इस न्यायालय को भिजवाई गई जिस पर वकील वादी एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को सही होना स्वीकार करते हुए दावा अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया है। फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा वादी का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा ठुकराई एव श्रीनगर पटवार ठुकराई की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:–

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

मौजा श्रीनगरः–

1– श्री देवीलाल, घीसालाल, रामेश्वरलाल, रतिराम, सोहनीबाई, मांगीबाई पिता हिरा हि.ब. धाकड सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
156	0.3640		0.87
157 मेसे	0.0814		0.20
790	0.1940		1.32
1195	0.0570		0.14
1458	0.1130		3.15
1434	0.1940		5.41
कीता– 06	1.0034 हैक्टर		11.09

मौजा श्रीनगरः–

2– श्री नन्दा, सम्पति, कमला, पिता प्यारा धाकड हि.ब.सा. देह खातेदार रहनः हि. नन्दा व कमला का ब.रा.ग्रा. बैंक शाखा ढुकराई

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
158	0.4210		1.01
157 मेसे	0.0243		0.05
1447	0.1050		2.93
1435	0.1700		4.74
787	0.1780		1.21
357	0.3480		2.37
कीता– 06	1.2463 हैक्टर		12.31

3– श्री सोहनलाल, प्रभूलाल, शुशिला, प्रेमबाई, पिता लखमा, जेतीबाई पति स्व.लखमा धाकड सा. देह खातेदार रहनः बदस्तुर जमाबंन्दी

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
786	0.1940		1.32
कीता– 01	0.1940 हैक्टर		1.32

4– श्री सोहनलाल, पिता स्व.लखमा धाकड सा. देह खातेदार रहनः बदस्तुर जमाबंन्दी

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
157	0.4453		1.07
कीता– 01	0.4453 हैक्टर		1.07

Mr

तहसीलदार
(भू-अवाप्ति अधिकारी)
डेग (चित्तौडगढ़)

श्री घीसालाल पिता नन्दा धाकड सा. देह खातेदार रहनः बदस्तुर जमाबंन्दी

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
1436	0.1460		4.07
कीता– 01	0.1460 हैक्टर		4.07

मौजा ढुकराई:–

1– श्री देवीलाल, घीसालाल, रामेश्वरलाल, रतिराम, सोहनीबाई, मांगीबाई पिता हिरा घाकड हि.ब. सा. देह खातेदार बदस्तुर रहन जमाबंन्दी

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
493 मेसे	0.2750		1.88
कीता– 06	0.2750 हैक्टर		1.88

2– श्री नन्दा, सम्पति, कमला, पिता प्यारा धाकड हि.ब.सा. देह खातेदार रहनः बदस्तुर जमाबंन्दी

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
493 मेसे	0.2750		1.88
कीता– 06	0.2750 हैक्टर		1.88

3– श्री सोहनलाल, पिता स्व.लखमा धाकड सा. देह खातेदार रहनः बदस्तुर जमाबंन्दी

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
493 मेसे	0.2750		1.07
कीता– 01	0.2750 हैक्टर		1.07

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 11.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या :– 05/2022

देबीलाल पिता स्व. हीरालाल जी जाति धाकड निवासी श्रीनगर तह0 बेगूं

वादी

बनाम

1 घीसालाल पिता स्व. हीरालाल जी जाति धाकड निवासी श्रीनगर तह0 बेगूं
2 रामेश्वरलाल पिता स्व. हीरालाल जी जाति धाकड निवासी श्रीनगर तह0 बेगूं
3 रतिराम पिता स्व. हीरालाल जी जाति धाकड निवासी श्रीनगर तह0 बेगूं
4 मांगीबाई पिता स्व. हीरालाल जी जाति धाकड निवासी श्रीनगर तह0 बेगूं हा.मु. पति कन्हैयालाल धाकड निवासी घनश्यामपुरा तह0 बेगूं
5 सोहनीबाई पिता स्व. हीरालाल जी जाति धाकड निवासी श्रीनगर तह0 बेगूं हा.मु. पति लाभचंद जी धाकड निवासी चैनसिंह जी का राजपुरा तह0 बेगूं
6 नंदा पिता प्यारचन्द्र धाकड निवासी श्रीनगर तह0 बेगूं
7 सपंति पिता प्यारचंद धाकड निवासी श्रीनगर हा.मु. कैलाशचन्द्र नि0 मडावदा तह0 बेगॅ
8 कमलाबाई पिता प्यारचंद धाकड निवासी श्रीनगर तह0 बेगूं
9 सोहनलाल पिता लखमा जी धाकड निवासी श्रीनगर तह0 बेगूं
10 प्रभूलाल पिता स्व. लखमा धाकड निवासी श्रीनगर तह0बेगूं
11 प्रेमबाई पिता स्व. लखमा धाकड निवासी श्रीनगर हा.मु.पति लालुराम जी निवासी सोदर्शनपुरा
12 सुशीला पिता लखमा धाकड निवासी श्रीनगर हा.मु.पति शंकरलाल धाकड नि.बंदा का राजपुरा
13 जेतीबाई पति लखमा जी धाकड निवासी श्रीनगर तह0 बेगूं
14 घीसा पिता नंदा जी धाकड निवासी श्रीनगर तह0 बेगूं
15 कजोडीबाई पिता भीमा धाकड पति हीरालाल धाकड निवासी उमर का खाल तह0 बेगूं
16 शुभम पिता शांतिलाल धाकड निवासी बलवंतनगर तह0 बेगूं
17 श्रीमान शाखा प्रबंधक चि.सह. भूमि विकास बैंक शाखा बेगूं
18 श्रीमान शाखा प्रबंधक ब.रा.ग्रा. बैंक शाखा ठुकराई
19 श्रीमान शाखा प्रबंधक आईसीआईसीआई बेगूं
20 श्रीमान शाखा प्रबंधक बीओबी शाखा ठुकराई
21 श्रीमान शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडोदा शाखा सामरियाकलां तह0 बेगूं
22 श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार साहब बेगूं जिला चितौडगढ
23 श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय प्रतिनिधि राजस्थान सरकार चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अ0धा0 88–53 राज0 काश्त0 अधि0

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद रफीक खान उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से .... की अनुपस्थिती में इस वाद अ.धा. 88–53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 11.02.2025 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूं के समक्ष निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–53 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिक्री किया जाता है:–

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौडगढ़)

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53-88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द पटवारी रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा दुकराई एवं श्रीनगर पटवार दुकराई की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:—

मौजा श्रीनगर:—

1— श्री देवीलाल, धीसालाल, रामेश्वरलाल, रतिराम, सोहनीबाई, मांगीबाई पिता हिरा हि.ब. धाकड सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
156	0.3640		0.87
157 मेंसे	0.0814		0.20
790	0.1940		1.32
1195	0.0570		0.14
1458	0.1130		3.15
1434	0.1940		5.41
कीता— 06	1.0034 हैक्टर		11.09

मौजा श्रीनगर:—

2— श्री नन्दा, सम्पति, कमला, पिता प्यारा धाकड हि.ब.सा. देह खातेदार रहनः हि. नन्दा व कमला का ब.रा.ग्रा. बैंक शाखा दुकराई

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
158	0.4210		1.01
157 मेंसे	0.0243		0.05
1447	0.1050		2.93
1435	0.1700		4.74
787	0.1780		1.21
357	0.3480		2.37
कीता— 06	1.2463 हैक्टर		12.31

3— श्री सोहनलाल, प्रभूलाल, शुशिला, प्रेमबाई, पिता लखमा, जेतीबाई पति स्व.लखमा धाकड सा. देह खातेदार रहनः बदस्तुर जमाबंन्दी

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
786	0.1940		1.32
कीता— 01	0.1940 हैक्टर		1.32

4— श्री सोहनलाल, पिता स्व.लखमा धाकड सा. देह खातेदार रहनः बदस्तुर जमाबंन्दी

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
157	0.4453		1.07
कीता— 01	0.4453 हैक्टर		1.07

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

श्री घीसालाल पिता नन्दा धाकड सा. देह खातेदार रहनः बदस्तुर जमाबंन्दी

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
1436	0.1460		4.07
कीता– 01	0.1460 हैक्टर		4.07

मौजा ठुकराईः–

1– श्री देवीलाल, घीसालाल, रामेश्वरलाल, रतिराम, सोहनीवाई, मांगीवाई पिता हिरा घाकड हि.व. सा. देह खातेदार बदस्तुर रहन जमाबंन्दी

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
493 मेसे	0.2750		1.88
कीता– 06	0.2750 हैक्टर		1.88

2– श्री नन्दा, सम्पति, कमला, पिता प्यारा धाकड हि.व.सा. देह खातेदार रहनः बदस्तुर जमाबंन्दी

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
493 मेसे	0.2750		1.88
कीता– 06	0.2750 हैक्टर		1.88

3– श्री सोहनलाल, पिता स्व.लखमा धाकड सा. देह खातेदार रहनः बदस्तुर जमाबन्दी

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
493 मेसे	0.2750		1.07
कीता– 01	0.2750 हैक्टर		1.07

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 11.02.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगॅू

क्रमांक / सरिश्ता / 2025 / 142 दिनांक ::– 18-3-25

अंतिम डिक्री की प्रति तहसीलदार, बेगॅू को वास्ते पालनार्थ दी जावे

सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगॅू